

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, जेठ ५ गते २०३८ साल

श्री ५ को सरकार
निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको
सूचना

श्री ५ को सरकारले भक्तपुर विकास समिति (गठन) आदेश, २०३१ को दफा ३ को उप-दफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त गठन आदेशको दफा ३ को उप-दफा (२) को सट्टा देहायको उप-दफा (२) राखी समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरूमा हेरफेर तथा थप गरेको छ ।

२. उप-दफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायको अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् ।

- | | |
|---|---------|
| (क) श्री निर्माण तथा यातायात मन्त्री वा राज्य मन्त्री - | अध्यक्ष |
| (ख) श्री प्रतिनिधि, राजकीय सम्पत्ति कोष - | सदस्य |
| (ग) श्री चीफ इन्जिनियर, खाने पानी तथा ढल निकास विभाग - | सदस्य |
| (घ) श्री चीफ इन्जिनियर, आवास भवन तथा भौतिक परियोजना विभाग - | सदस्य |
| (ङ) श्री अध्यक्ष, औद्योगिक सेवा केन्द्र - | सदस्य |
| (च) श्री महानिर्देशक, पर्यटन विभाग - | सदस्य |
| (छ) श्री योजना प्रमुख, खाने पानी तथा ढल निकास समिति - | सदस्य |
| (ज) श्री सदस्य-सचिव, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति - | सदस्य |
| (झ) श्री निर्देशक, पुरातत्व विभाग - | सदस्य |
| (ञ) श्री अध्यक्ष, गुठि संस्थान - | सदस्य |
| (ट) श्री सभापति, भक्तपुर जिल्ला पंचायत - | सदस्य |
| (ठ) श्री प्रधानपञ्च, भक्तपुर नगर पंचायत - | सदस्य |

(७)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।